निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टरएवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़

केम्प कालेसरिया

प्र.सं 44/2017 प्रा.पत्र निर्णय दिनांक 18.06.2018

अनवान

1. श्री हजारी पिता जेता बलाई नि. मालजीकाखेड़ा त. देवगढ़ जि. राजसमंद

.........वादी

बनाम

1. श्री रेमता पिता चतरा बलाई नि. मालजीकाखेड़ा त. देवगढ़ जि. राजसमंद
2. धन्ना पिता चतरा बलाई नि. मालजीकाखेड़ा त. देवगढ़ जि. राजसमंद
3. लच्छु पिता चतरा बलाई नि. मालजीकाखेड़ा त. देवगढ़ जि. राजसमंद
4. बालु पिता काना नि. मालजीकाखेड़ा त. देवगढ़ जि. राजसमंद

............प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान कास्ताकारी अधिनियम वास्ते प्राप्त करने कब्जा भूमि

पत्रवाली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कालसेरिया में पेश हुई। पक्षकारण को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली हैं। वादी उपस्थित हुआ, प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का आवलोकन किया विवरण इस प्रकार है।

वादी की राजस्व गाम्र मालजीकाखेड़ा प.ह. कालेसरिया तह. देवगढ़ जि. राजसमंद की सीमा में की खातेदारी की कृषि आराजीयात हैं जिसके आराजी न. 84/37 रकबा 3 बीघा भूमि हैं। जो राजस्व रिकार्ड सं. 2068 से 2071 में वादी के नाम खातेदारी में अंकित हैं। उक्त भूमि वादी की मौरूशी बाप दादाओं की हैं जिसका उपयोग उपभोग वादी कर रहा हैं परन्तु प्रतिवादीगण ने बल व दादागिरी से उक्त वादी की खातेदारी भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नहीं हैं प्रतिवादीगण वादी को डरा धमकाकर कर वादी की खातेदारी भूमि पर नाजायत तरीके से अतिक्रमण कर लिया हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने हेतु कई मर्तबा कहा परन्तु प्रतिवादीगण वादी को डराते हैं एवं धमकी देते हैं कि कोई कानूनी कार्यवाही की तो जान से खत्म कर देंगे। वादी बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति है जबकि प्रतिवादीगण लड़ाकू प्रवृति के व्यक्ति हैं। जिससे भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे से मुक्त कराई जाकर वादी को सिपूर्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

वदी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कालेसरिया में नियम किया गया। तथा प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। कैम्प में वादी व प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित हुऐ अन्य प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। वादी के वाद व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादी उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। तथा इस प्रकार डिकी किया जाता हैं कि गाम्र मालजीकाखेड़ा प.ह. कालेसरिया तह. देवगढ़ जि. राजसमंद में स्थित खातेदारी की कृषि आराजीयात आराजी न. 84/37 रकबा 3 बीघा भूमि को प्रतिवादीगण को बेदखल करने एवं भूमि का कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें।निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को राजस्व लोक अदालत सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

देवगढ़ जिला राजसमन्द

देवगढ़,जिला राजसमन्द